

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं.एफ 5(2)डीओपी/ए-II /91-पार्ट

जयपुर ,दिनांक:18-08-2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

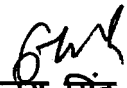
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 28 का संशोधन.- राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के नियम 28 के विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) यदि किसी व्यक्ति ने, जो ऊपर उप-नियम (1) के अधीन चयनित हो और संबंधित पद पर इन नियमों के अनुसार किसी वर्ष विशेष की रिक्तियों के प्रति, जिसके लिये इन नियमों के अनुसार आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा संचालित की गई थी, नियुक्त किया गया हो, किसी पश्चात्त्वर्ती वर्ष में त्यागपत्र दे दिया है या उसकी मृत्यु हो गयी है, तो उस स्थिति में उक्त रिक्ति को नई रिक्ति के रूप में माना जाएगा।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,


(जय सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

35/2021